भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय / MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग / DEPARTMENT OF REVENUE

दूरभाष/ Telephone: 044-28331011
फैक्स / Fax : 044-28331015
email: cca.estt.section@gmail.com
ccaestt-prcco@gov.in

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF GST & CENTRAL EXCISE,
TAMILNADU AND PUDUCHERRY ZONE,
26/1, MAHATMA GANDHI ROAD, NUNGAMBAKKAM, CHENNAI - 600 034.

NATION GST TAX MARKET

C. No. II/31/02/2020-CCA.Estt.-PF-I Dated: 04 .08.2021

नियुक्ति प्रस्ताव /OFFER OF APPOINTMENT

विषय: स्था. - वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक के पद हेतु भर्ती - कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा, 2017 के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों का आबंटन ।
Sub: Estt. - Recruitment to the post of Inspector of GST & Central Excise Allocation of candidates on the basis of result of the Combined Graduate Level Examination, 2017, conducted by SSC - Reg.

* * *

संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा, 2017 के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रायोजित तथा बोर्ड के पत्र F.No.A.12034/SSC/10/2017-Ad.III (B) 29.06.2020 द्वारा निरीक्षक के पद पर वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तमिल नाडु एवं पुदुच्चेरी अंचल में आबंटित निम्नलिखित अभ्यार्थियों को एन्ट्री पे रु. 44,900/- (7वें वेतन आयोग के वेतन मेट्रिक्स लेवल 7, इंडेक्स 1) प्लस समय-समय पर स्वीकार्य भत्ते में निरीक्षक (वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के पद के लिए नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है और निम्नलिखित चेन्नई सेवर्ग नियंत्रण अंचल के वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्तलायों में नीचे दर्शाए गए अनुसार नामित / तैनात किया जाता है ।

The following candidate, sponsored by the Staff Selection Commission on the basis of result of Combined Graduate Level Examination, 2017 and allocated to the Tamil Nadu & Puducherry Zone for the post of Inspector of GST & Central Excise vide Board's letter F.No.A.12034/SSC/10/2017-Ad.III (B) dated 29.06.2020 is offered appointment to the post of Inspector (GST & Central Excise) in the entry pay of Rs. 44,900 /-(Index 1, Level 7 in pay matrix of 7th Pay Commission) plus allowances admissible from time to time and is nominated / posted to the following Commissionerate in GST & Central Excise of Chennai Cadre Control Zone as indicated below:-

Sl. No.	RANK NO. SL/III	NAME (Ms. / Shri. / Smt.)	D.O.B.	CATE GORY	POSTED TO
1	1888	KESHAV KISHAN	05.02.1992	UR	CHENNAI SOUTH

2. अभ्यर्थियों को वस्तु और सेवा कर व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चेन्नै संवर्ग नियंत्रण अंचल के जिस आयुक्त कार्यालय में रिपोर्ट करना है, उस आयुक्त कार्यालय का पता संदर्भ हेतु संलग्न है ।

The address of the Commissionerates of the GST & Central Excise, Chennai Cadre Control Zone where the candidate has to report is enclosed for reference.

3. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी आधार पर है तथा आगे के आदेश तक है ।
The above appointment will be purely on a temporary basis and until further orders.

4. यह नियुक्ति आदेश निम्नलिखित शर्तों है ।
This appointment order is subject to following conditions.

5. केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के अनुसार उनकी सेवाएँ, किसी एक की ओर से एक महीने की नोटिस पर, बिना कोई कारण बताएँ, समापनीय होंगी । तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार है कि उन्हें नाटिस की अवधि के लिए अथवा उस अवधि के असमाप्त हिस्से के लिए वेतन और भत्ते के बराबर की राशि का भुगतान करके उनकी सेवाओं को वह तत्काल समाप्त करें अथवा नोटिस की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले समाप्त करें ।

His services will be terminable on one month's notice from either side in accordance with the Central Civil Service (Temporary Service) Rules, 1965, without assigning any reasons. The Appointing Authority, however, reserves the right of terminating his services forthwith or before the expiration of the stipulated period of notice by making payment to him of a sum equivalent to the pay and allowances for the period of notice or the unexpired portion thereof.

6. वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे । सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर इस अवधि को बढाया जा सकता है । परिवीक्षा-काल को संतोषजनक रूप से पूरा करने पर, उपरोक्त पद में उनके स्थायीकरण पर विचार किया जाएगा ।

He will be on probation for two years from the date of appointment, the period of which may be extended at the discretion of the Competent Authority. On completion of the probation period satisfactorily, he will be considered for confirmation in the said post.

7. अभ्यर्थियों को निर्धारित वर्दी पहनना होगा तथा वर्दी-धारी कर्मचारियों से प्रत्याशित अनुशासन को बनाया रखना होगा । आधिकारिक रूप से आयोजित न किए जाने वाले या अनुशासनहीन माने जाने वाले किसी प्रकार के कार्यकलापों में उन्हें भाग नहीं लेना चाहिए ।

The candidate shall equip himself with prescribed Uniform and will be subjected to usual discipline that is expected of those in Uniform. He should not indulge in activities not officially organized or in any manner considered as indiscipline.

8. अभ्यर्थियों को दो वर्षों के अंदर निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, ऐसा न करने पर वे आगे वेतनवृद्धियों का आहरण करने के पात्र नहीं होंगे तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक की ग्रेड में स्थायी रूप से उनके प्रतिधारण के संबंध में भी विचार नहीं किया जाएगा ।

The candidates should pass the prescribed Departmental Examination within two years, failing which he will not be eligible to draw further increments and will not be considered for permanent retention in the grade of Inspector of Central Excise.

9. छुट्टी, यात्रा भत्ते तथा सेवा-शर्तों से संबंधित सभी अन्य मामलों के संबंध में, वे लोक-सेवा की जिस शाखा हैं, उसके लिए अनुप्रयोज्य तथा समय-समय पर लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा नियंत्रित रहेंगे ।

With regard to Leave, Travelling Allowances and all other matters connected with service conditions, he will be governed by the rules and orders in force from time to time and applicable to the branch of public service to which he may belong.

10. जी एस टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान मुख्य आयुक्त, चेन्नै के संवर्ग नियंत्रण अधिकार - क्षेत्र के अंदर कहीं भी तथा पदोन्नति पर भारत में कहीं भी उन्हें तैनात और स्थानांतरित किया जा सकता है ।

He will be liable to be posted and transferred anywhere within the Cadre Control jurisdiction of the Principal Chief Commissioner of GST & Central Excise, Chennai and anywhere in India on promotion.

11. यदि वे स्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं या तीन वर्ष की अस्थायी सेवा पूरी नहीं की हैं, तो वे उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ते के हकदार नहीं होंगे ।

He will not be entitled to Travelling Allowance for joining the post unless he are permanent Government servants or has completed three years of temporary service.

12. सरकारी कर्मचारियों तथा अन्यों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा / साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर केन्द्र सरकार के पदों में नियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा राज्य सरकार के स्थायी / अनंतिम स्थायी कर्मचारी इन नियमों के अनुसार कार्यग्रहण अवधि के हकदार होगें । लेकिन 3 वर्षों की नियमित सेवा पूरा न करने वाले केन्द्र सरकार के अस्थायी कर्मचारी, कार्यग्रहण अवधि के लिए तो हकदार हैं, पर कार्यग्रहण अवधि वेतन के लिए हकदार नहीं हैं ।

For appointment to posts under the Central Government on the results of a competitive examination/ or interview open to Government servants and others, Central Government employees and permanent / provisionally permanent State Government employees will be entitled to joining time under these rules. But temporary employees of the Central Government who have not completed 3 years of regular continuous service entitled to joining time, would not be entitled to joining time pay.

13. कार्यग्रहण करने पर उन्हें भारत के संविधान के प्रति निष्ठा-शपथ लेनी होगी या इस आशय का सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करना होगा ।

On joining the post, he will be required to take an Oath of Allegiance to the Constitution of India or has to make a solemn affirmation to that effect.

14. अगर वे पहले से नौकरी में हैं तो उन्हें नियोक्ता द्वारा दिए गए कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा ।

If he is already employed, he should produce a relieving order/ discharge certificate from the previous employer.

15. अगर वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के होने का दावा करते हैं, तो निर्धारित प्रपत्र में (यथानिर्धारित गृह मंत्रालय के दिनांक 28.01.1952 के का.ज्ञा.सं. 42/21/49-एन.जी.एस. में यथासंशोधित / कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.07.1997 का का.ज्ञा. सं. 36033/28/94 में यथाप्रयोज्य), उसमें उल्लिखित किसी न्यायिक / राजस्व प्राधिकारी द्वारा, जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । उन्हें नोट करना होगा कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है तथा उचित माध्यम द्वारा जाति / जनजाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्यधीन है । अगर अनुसूचति जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग अथवा नान क्रीमी लेयर के होने का दावा गलत पाया जाता है तो उनकी सेवाएं, किसी कारण दिए बिना तथा गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत आगे की जाने वाली कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी । नियुक्ति के बाद, उनके धर्म का अगर परिवर्तन होता है तो, उसकी सूचना संबंधित नियुक्ति / प्रशासनिक प्राधिकारी को तत्काल देनी चाहिए ।

If he claims to belong to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other backward Classes, he has to produce a certificate issued in the prescribed format (as prescribed in M.H.A O.M. No 42/21/49-N.G.S, dated 28.01.1952 as amended / DOPT O.M .No. 36033/28/94-Estt (Res) dated 02.07.1997 as applicable) by any of the Judicial / Revenue Authorities mentioned therein. He should note that his appointment will be provisional and is subject to verification of the Caste / Tribe certificate through proper channels and that if the claim to belong to SC/ST/OBC or not to belong to creamy layer is found to be false, his services will be terminated forthwith without assigning any reason and without prejudice to such further action that may be taken under the Indian Penal Code for production of false certificate. He should also intimate the change, if any, of his religion, after appointment, immediately to the Appointing / Administrative Authorities concerned.

16. भारत सरकार के अधीन सेवाओं में भर्ती के लिए चालू सुसंगत नियमों के अनुसरण में,

In accordance with the relevant rules in force in regard to the recruitment to services under the Government of India,

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है या जो, एक पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह कर लेता है, हालांकि पत्नी के जीवन-काल में घटित होने के कारण वह विवाह अमान्य हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि केन्द्र सरकार किसी व्यक्ति के संबंध में उपर्युक्त नियम के लागू होने से छूट दे सकती हैं, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा आदेश देने के विशेष कारण हैं ।

(a) No person who has more than one wife living or who, having a spouse living, contracts to a second marriage, though such marriage is void by reason of its taking place during the life-time of such spouse, shall be eligible for appointment to service, provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

(ख) कोई ऐसी स्त्री, जिसकी शादी उसके पति के जीवन-काल में घटित होने के कारण से अमान्य हो या जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पत्नी उक्त विवाह के समय जीवित हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होती बशर्ते कि भारत सरकार ने संतुष्ट होकर कि ऐसा आदेश देने के विशेष कारण हैं, उसे छूट दी हो ।

(b) No such woman whose marriage is void by reason of its taking place during the life-time of his spouse or who have married to such a person whose wife is living at the time of marriage shall be eligible for appointment in service unless the Government of India has granted exemption to such a woman in accordance with this rule after being satisfied that there are special grounds for so ordering.

17. अतः यह नियुक्ति प्रस्ताव सशर्त है कि उम्मीदवार उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करें तथा अपने उत्तर के साथ, इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में घोषणा दें। अगर वे उपर्युक्त शर्त को पूरा नहीं करते तथा किसी कारणवश उपर्युक्त नियमों से छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें तत्काल इस आशय का अभ्यावेदन देना चाहिए। ऐसे मामले में यह नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त माना जाएं तथा उनके अभ्यावेदन पर विचार करने पर यदि यह निर्णय किया जाता है कि उन्हें निरीक्षक पद के लिए नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जाएं तो आगे की सूचना प्रेषित की जाएगी ।

This offer of appointment is, therefore, conditional upon his satisfying the requirement mentioned and furnishing declaration in the form enclosed to this letter, along with his reply. If, however, he does not fulfil the above condition and he desire to be exempted from the above mentioned rules for any reason, he should make a representation in this behalf immediately. This offer of appointment should, in that case, be treated as cancelled and a further communication will be sent to him in due course, if upon consideration of his representation, it is decided to offer his appointment to the post of Inspector of Central Excise.

18. यदि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई घोषणा या सूचना गलत पाई जाती है अथवा यदि पाया जाता है कि उम्मीदवार ने विवाह संबंधी किसी सूचना को जानबूझकर दबा लिया है तो वह अपनी सरकारी सेवा से बरखास्तगी तथा सरकार द्वारा आवश्यक माने जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई का भागी होगा ।

If any declaration given or information furnished by him is proved to be false or if he are found to have wilfully suppressed any marital information, he will be liable for removal from service and other action as Government may deem necessary.

19. यह नियुक्ति प्रस्ताव पूर्णतः अस्थायी है तथा संबंधित जिला / पुलिस अधिकारियों से पूर्ववृत सत्यापन रिपोर्ट / संबंधित निर्गामी प्राधिकारियों से जाति प्रमाण पत्र / विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन इत्यादि की प्राप्ति पर निर्भर है । यदि संबंधित अधिकारियों से कोई प्रतिकूल / नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होती है तो, कर्मचारियों की सेवाएं कोई कारण या नेटिस दिए बिना तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी ।

This offer of appointment is purely temporary and is subject to receipt of the antecedent verification report from the District/ Police Authorities concerned; Caste certificate from the

issuing *authority concerned*; verification of certificate of education issued by the University. In case any adverse/ negative report is received from the Authorities concerned, the services will be terminated immediately without assigning any reason or notice.

20. उम्मीदवार को निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रति के साथ नामांकित अंचल आयुक्तालय में दिनांक **03.09.2021** को या उससे पहले रिपोर्ट करनी होगी ।

He shall report for duty at the Office of the nominated Zone / Commissionerate **on or before 03.09.2021** with the following documents:

(i) शैक्षणिक योग्यताओं की मूल/ अनुप्रमाणित प्रति
Original/Attested copies of Educational Qualifications;

(ii) आयु प्रमाण-पत्र की मूल/ अनुप्रमाणित प्रति
Original/Attested copy of Certificate of Age;

(iii) संलग्न प्रपत्र में वैवाहिक स्थिति की घोषणा
Declaration of Marital Status in the form enclosed;

(iv) अ.जा. / .अ.ज.जा / .अ.पि.व .के अभ्यार्थी के मामले में निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र
Caste Certificate in the case of SC/ST/OBC candidate in the prescribed format;

(v) वर्तमान नियोक्ता से कार्यमुक्ति आदेश (यदि लागू हो तो) ।
Relieving order/ Discharge Certificate from the present employer (if applicable).

(vi) Pending Documents (that were not submitted at the time of Document Verification i.e. Character Certificate/ Identity Certificate, etc.)

ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वयमेव रद्द हो जाएगा ।
failing which this offer of appointment will stand automatically cancelled.

21. नियमित तैनाती से पहले नव नियुक्त निरीक्षकों को संबंधित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।
The newly appointed Inspector should undergo the mandatory training in RTIs concerned before he is given a regular posting.

22. उक्त कर्मचारियों के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-। - खंड 1 दिनांक 22.12.2003 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं 5/7/2003-ईईसीबी व पीआर दिनांक 22.12.2003 के तहत अधिसूचित नई पेंशन योजना लागू होगी । सी.सी.एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 26 (2) के तहत तकनीकी इस्तीफा देकर उपरोक्त पद में पुनर्नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने वाले स्थायी सरकारी कर्मचारी के लिए यह लागू नहीं होगी।
The candidate will be governed by the New Pension Scheme as notified vide Government of India, Ministry of Finance, Notification no. 5/7/2003-EECB & PR dated 22.12.2003 - published in Gazette of India, Extraordinary, Part I - Section 1, dated 22.12.2003. This will not apply to a permanent Government servant who joins the post on tendering Technical resignation under Rule 26(2) of CCS (Pension) Rules, 1972 on reappointment to the post.

23. यह आदेश प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु और सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी, तमिल नाडु एवं पुदुच्चेरी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

This order is issued with the approval of the Pr. Chief Commissioner of GST & Central Excise, Cadre Control Authority, Tamil Nadu and Puducherry.

04/08/21

(B. SENTHILVELAVAN)
ADDITIONAL COMMISSIONER

To,
The Individual

Copy submitted to:
1. The Commissioner of GST & Central Excise,
   Chennai South

Copy to:
1. The Under Secretary, Ad.III (B), CBEC, Ministry of Finance, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110 066.
2. The Superintendent (Computer Section), Chennai North – **for displaying on official website.**
3. Master file/Spare copy